



2026:AHC-LKO:18371

ए.एफ.आर.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट - सी संख्या - 1456/2026

श्रीमती दीपा कटियार

.....याची(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह लखनऊ एवं अन्य 6 अन्य प्रत्यर्थी(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता : नृपेंद्र मिश्रा,

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.,

न्यायालय संख्या - 17

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री नृपेंद्र मिश्रा और राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विशाल तहलानी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर इस वर्तमान याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित अनुताप मांगे हैं: -

"(I) विपक्षी संख्या 3, बाल कल्याण समिति को अपने स्वयं के आदेश दिनांक 01.08.2022 को संशोधित करने का परमादेश जारी करने के लिए एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए, ताकि दो मुलाकातों के बजाय चार मुलाकातें हों और बच्चों की माँ को प्रतिदिन फोन कॉल और वीडियो कॉल की जा सके, तथा छुट्टियों में बच्चों को उनकी माँ के पास भेजा जा सके।

(II) विपक्षी संख्या 5, पुलिस थाना कोतवाली अयोध्या, अयोध्या को विपक्षी संख्या 3 अर्थात् बाल कल्याण समिति के आदेश का अनुपालन करने का परमादेश देने वाला एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

(III) विपक्षी संख्या 2 अर्थात् जिलाधिकारी और विपक्षी संख्या 3 बाल कल्याण समिति को दिनांक 23.12.2025 के प्रत्यावेदन पर उचित कार्रवाई करने तथा किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत एफ.आई.आर. दर्ज करने का परमादेश देने वाला एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

(IV) विपक्षी संख्या 6 अर्थात् भवदीय पब्लिक स्कूल, अयोध्या को अभिभावक-शिक्षक बैठक में याचिकाकर्ता को बुलाने, माता-पिता के लिए बनाए गए स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने और

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



स्कूल के अभिलेख में याचिकाकर्ता को माता-पिता के रूप में मान्यता देने का परमादेश देने वाला एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

(V) विपक्षी संख्या 7 अर्थात् सिद्धांत कन्नौजिया को स्कूल की छुट्टियों/अवकाशों, जन्मदिनों, त्योहारों और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तिगत या भावनात्मक अवसरों के दौरान अप्राप्तवय याचिकाकर्ता बच्चों के साथ समय बिताने की अनुमति देने का परमादेश देने वाला एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

(VI) विद्वान विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (कस्टम) लखनऊ द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण मुकदमा संख्या 646 सन् 2022, श्रीमती दीपा कटियार बनाम डॉ. सिद्धांत कन्नौजिया और अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.09.2024 और अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या 9, लखनऊ द्वारा आपराधिक अपील संख्या 160 सन् 2025, श्रीमती दीपा कटियार बनाम डॉ. सिद्धांत (जो इस हलफनामे के अनुलग्नक संख्या 961 के रूप में संलग्न है) कन्नौजिया में पारित आदेश दिनांक 03.10.2025 को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण की प्रकृति का एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

(VII) न्याय के हित में, मामले की परिस्थितियों के अनुसार जो भी अन्य रिट आदेश या निर्देश यह माननीय न्यायालय उचित और सही समझे, उसे जारी किया जाए।

(VIII) रिट याचिका को लागत के साथ स्वीकार किया जाए।"

3. रिट याचिका में अभिवचित मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता का विवाह विपक्षी संख्या 7 के साथ दिनांक 02.03.2014 को हुआ था। उसने आरोप लगाया है कि विपक्षी संख्या 7 दहेज की मांग को लेकर उसके साथ बुरा व्यवहार करता था। उसने 17.02.2015 को एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम मास्टर शिवांश रखा गया है और वर्ष 2016 में एक पुत्री का जन्म हुआ। रिट याचिका में पुत्री का नाम और उसकी जन्म तिथि का खुलासा नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता का पुत्र ऑटिज्म बीमारी से पीड़ित है।

4. याचिकाकर्ता और विपक्षी संख्या 7 के बीच उत्पन्न हुए कुछ मुद्दों के कारण, उनके वैवाहिक विवाद से जुड़ा एक मामला लंबित बताया गया है, लेकिन रिट याचिका में न तो मामले की प्रकृति और न ही उसके विवरण का खुलासा किया गया है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि उसने विविध मामला संख्या 52 सन् 2022 यह कहते हुए दायर किया है कि बच्चों के पिता (विपक्षी संख्या 7) उन्हें उनकी माँ (याचिकाकर्ता) से मिलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। बाल कल्याण समिति, अयोध्या ने बच्चों को धारा 2(14)(iv) के तहत देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे मानते हुए दिनांक 01.08.2022 को एक आदेश पारित किया है और विपक्षी संख्या 7 को निर्देश दिया है कि वह बच्चों को वन स्टॉप सेंटर, दर्शन नगर अयोध्या लाए ताकि वे अपनी माँ (याचिकाकर्ता) से मिल सकें और जब भी बच्चे इच्छा व्यक्त करें, उन्हें अपनी माँ से बात भी कराएं। आदेश में कहा गया है कि सक्षम न्यायालय द्वारा कोई अन्य आदेश पारित किए जाने पर, दिनांक 01.08.2022 का आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाएगा।

5. विपक्षी संख्या 7 ने अधिनियम की धारा 101 के तहत अपील संख्या 4343 सन् 2022 दायर करके दिनांक 01.08.2022 के आदेश को चुनौती दी, जिसे जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.09.2022 के माध्यम से इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि बाल कल्याण समिति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.08.2022 धारा 101(1) के दायरे में नहीं आता है और इसलिए, यह अपील पोषणीय नहीं थी।

6. इसके बाद याचिकाकर्ता ने बच्चों की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या 400 सन् 2022 यह कहते हुए दायर की कि बच्चे अपने पिता की अवैध अभिरक्षा में हैं और उनकी अभिरक्षा उनकी माँ को सौंपी जानी चाहिए। इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 24.05.2023 को पारित एक आदेश द्वारा इस याचिका का यह अभिनिर्धारित करते हुए निस्तारण कर दिया गया कि अपने नैसर्गिक पिता के साथ रहने वाले बच्चे अवैध हिरासत में हैं। हालाँकि, इस न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि यदि माँ अपने अप्राप्तवय बच्चों की अभिरक्षा चाहती है, तो उसके पास संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के तहत आवेदन/याचिका दायर करके उचित मंच से संपर्क करने का उपाय उपलब्ध है। इस न्यायालय ने आगे टिप्पणी की कि मुलाकात के अधिकारों के संबंध में बाल कल्याण समिति, अयोध्या द्वारा पारित दिनांक 01.08.2022 का आदेश पहले से ही मौजूद है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और यदि याचिकाकर्ता उक्त आदेश से व्यथित है, तो उसके पास किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जिसे इसके बाद 'किशोर न्याय अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के प्रावधानों के तहत उपाय उपलब्ध है।

7. याचिकाकर्ता ने घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 21 के तहत विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (कस्टम) लखनऊ के न्यायालय में आपराधिक प्रकीर्ण मुकदमा संख्या 4649 सन् 2022 के रूप में एक आवेदन दायर किया। यह आवेदन दिनांक 30.09.2024 के एक आदेश द्वारा यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि बाल कल्याण समिति, अयोध्या पहले ही दिनांक 01.08.2022 का एक आदेश पारित कर चुकी है जिसमें याचिकाकर्ता को मुलाकात का अधिकार प्रदान किया गया है। याचिकाकर्ता ने रिट-सी संख्या 9275 सन् 2022 दायर करके उपरोक्त आदेश को चुनौती दी, लेकिन इसे दिनांक 24.01.2025 को पैरवी के अभाव में खारिज कर दिया गया। ऐसा कोई अभिवचन नहीं है कि याचिकाकर्ता ने पैरवी के अभाव में रिट-सी संख्या 9275 सन् 2022 को खारिज करने वाले दिनांक 24.01.2025 के आदेश को रिकॉल करने के लिए कोई आवेदन दायर किया है। याचिकाकर्ता ने यह भी अभिवचन किया है कि उसने संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम की धारा 7/25 के तहत वाद संख्या 13 सन् 2025 दायर किया था, जो अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, अयोध्या के न्यायालय में लंबित है।

8. तत्पश्चात, याचिकाकर्ता ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कस्टम, लखनऊ द्वारा पारित दिनांक 30.09.2024 के आदेश की वैधता को चुनौती देते हुए आपराधिक अपील संख्या 160 सन् 2025 दायर की और उस अपील को भी विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 9, लखनऊ द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 03.10.2025 के माध्यम से खारिज कर दिया गया है।

9. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि विपक्षी संख्या 7 बाल कल्याण समिति द्वारा पारित दिनांक 01.08.2022 के आदेश का अनुपालन नहीं कर रहा है और उसने इस संबंध में उ.प्र. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिला प्रोबेशन अधिकारी और जिलाधिकारी को कई प्रार्थना पत्र दिए हैं।

10. यह याचिका दिनांक 10.03.2026 को सुनवाई हेतु ली गई थी, जिस तिथि पर इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना था और उसके बाद यह टिप्पणी की थी कि ऐसा प्रतीत

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



होता है कि अपने पिता के साथ रहने वाले बच्चों को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 2(14) में परिभाषित 'देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे' नहीं कहा जा सकता है और इसलिए, किशोर न्याय अधिनियम के तहत गठित बाल कल्याण बोर्ड को याचिकाकर्ता और विपक्षी संख्या 7 के बच्चों के संबंध में किसी भी कार्यवाही पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और न्यायालय ने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को इस बिंदु पर अपनी दलीलें पेश करने के लिए समय प्रदान करते हुए मामले को आगे बढ़ा दिया था।

11. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि बाल कल्याण समिति को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 2(9) में परिभाषित 'बच्चे के सर्वोत्तम हित' में उपयुक्त आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। उन्होंने यह भी दलील दी है कि बाल कल्याण समिति के पास किशोर न्याय अधिनियम की धारा 29 में उपबंधित व्यापक शक्तियां हैं।

12. अधिनियम की धारा 2(14) 'देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे' को इस प्रकार परिभाषित करती है: -

2. (14) "देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बच्चा" से अभिप्रेत है ऐसा बच्चा"

(i) जो किसी घर या रहने के निश्चित स्थान के बिना और जीवन निर्वाह के किसी दृश्यमान साधन के बिना पाया जाता है; या

(ii) जो इस अधिनियम के प्रावधानों या तत्समय प्रवृत्त श्रम कानूनों के उल्लंघन में काम करता हुआ पाया जाता है या भीख मांगता हुआ पाया जाता है, या सड़क पर रहता है; या

(iii) जो किसी ऐसे व्यक्ति (चाहे वह बच्चे का संरक्षक हो या नहीं) के साथ रहता है और ऐसा व्यक्ति—

(क) जिसने बच्चे को चोट पहुँचाई है, उसका शोषण किया है, दुर्यवहार किया है या उसकी उपेक्षा की है या बच्चे के संरक्षण के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून का उल्लंघन किया है; या

(ख) जिसने बच्चे को जान से मारने, चोट पहुँचाने, शोषण करने या दुर्यवहार करने की धमकी दी है और उस धमकी के अमल में लाए जाने की युक्तिसंगत संभावना है; या

(ग) जिसने किसी अन्य बच्चे या बच्चों की हत्या की है, उनके साथ दुर्यवहार किया है, उनकी उपेक्षा की है या उनका शोषण किया है और उस व्यक्ति द्वारा प्रश्नगत बच्चे की हत्या किए जाने, दुर्यवहार किए जाने, शोषण किए जाने या उपेक्षा किए जाने की युक्तिसंगत संभावना है; या

(iv) जो मानसिक रूप से बीमार है या मानसिक अथवा शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त है या किसी जानलेवा या लाइलाज बीमारी से पीड़ित है, जिसकी सहायता करने या देखभाल करने वाला कोई नहीं है या जिसके माता-पिता अथवा संरक्षक उसकी देखभाल करने के लिए अयोग्य हैं, यदि बोर्ड या समिति द्वारा ऐसा पाया जाता है; या

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(v) जिसके माता-पिता या संरक्षक हैं और समिति या बोर्ड द्वारा ऐसे माता-पिता या संरक्षक को बच्चे की सुरक्षा और भलाई की देखभाल करने और उसे संरक्षण प्रदान करने के लिए अयोग्य या अक्षम पाया जाता है; या

(vi) जिसके माता-पिता नहीं हैं और कोई भी उसकी देखभाल और संरक्षण करने को तैयार नहीं है या जिसे परित्यक्त कर दिया गया है या अभ्यर्पित कर दिया गया है;

(vii) जो लापता है या भागा हुआ बच्चा है, या जिसके माता-पिता विहित तरीके से उचित जांच करने के बाद भी नहीं मिल रहे हैं; या

(viii) जिसका यौन शोषण या अवैध कार्यों के उद्देश्य से दुरुपयोग, यातना या शोषण किया गया है या किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है; या

(ix) जो सुभेद्य पाया जाता है और जिसे नशीली दवाओं के सेवन या तस्करी में धकेल दिया गया है या धकेला जा रहा है या धकेले जाने की संभावना है; या

(x) जिसका अंतःकरण के विरुद्ध लाभ के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है; या

(xi) जो किसी सशस्त्र संघर्ष, नागरिक अशांति या प्राकृतिक आपदा का शिकार है या उससे प्रभावित है; या

(xii) जिसे विवाह की आयु प्राप्त करने से पहले विवाह के आसन्न जोखिम का सामना करना पड़ रहा है और जिसके माता-पिता, परिवार के सदस्य, अभिभावक या कोई अन्य व्यक्ति ऐसे विवाह को संपन्न कराने के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं;"

13. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी है कि याचिकाकर्ता का पुत्र ऑटिज़्म से पीड़ित है और इसलिए, वह अधिनियम की धारा 2 (14) (iv) के दायरे में आएगा। धारा 2 (14) (iv) ऐसे बच्चे को संदर्भित करती है जो मानसिक रूप से बीमार है, या मानसिक अथवा शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त है, या किसी जानलेवा या लाइलाज बीमारी से पीड़ित है, जिसकी सहायता करने या देखभाल करने वाला कोई नहीं है या जिसके माता-पिता अथवा संरक्षक उसकी देखभाल करने के लिए अयोग्य हैं, यदि बोर्ड या समिति द्वारा ऐसा पाया जाता है। वर्तमान मामले में, बाल कल्याण समिति ने दिनांक 01.08.2002 के आदेश में ऐसा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया है। बच्चे को अधिनियम की धारा 2(14) में परिभाषित देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे के रूप में नहीं पाए जाने की स्थिति में, बाल कल्याण बोर्ड को बच्चे के संबंध में कोई भी आदेश पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

14. जैसा कि रिट याचिका में स्वयं याचिकाकर्ता के अभिवचनों से स्पष्ट है, याचिकाकर्ता और उसके पति - विपक्षी संख्या 7 के बीच एक वैवाहिक विवाद चल रहा है। यद्यपि याचिकाकर्ता ने यह अभिवचन किया है कि पक्षकारों के बीच वैवाहिक मुकदमा चल रहा है, लेकिन याचिका में मामले की प्रकृति और उसके विवरण और/या पक्षकारों के बीच चल रहे वैवाहिक मुकदमों की संख्या का खुलासा नहीं किया गया है। यदि परिवार न्यायालय के समक्ष पक्षकारों के बीच कोई वैवाहिक वाद लंबित है, तो

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



पक्षकारों के लिए लंबित वाद में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 26 के तहत आवेदन दाखिल करने का विकल्प हमेशा खुला रहता है, जो इस प्रकार प्रावधान करती है: -

"26. बच्चों की अभिरक्षा - इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में, न्यायालय, समय-समय पर, ऐसे अंतरिम आदेश पारित कर सकता है और डिक्री में ऐसे प्रावधान कर सकता है जो वह अप्राप्तवय बच्चों की अभिरक्षा, भरण-पोषण और शिक्षा के संबंध में न्यायसंगत और उचित समझे, जहाँ तक संभव हो उनकी इच्छाओं के अनुरूप हो, और इस प्रयोजन के लिए याचिका द्वारा आवेदन किए जाने पर, डिक्री में परिवर्तन कर सकता है, समय-समय पर, ऐसे बच्चों की अभिरक्षा, भरण-पोषण और शिक्षा के संबंध में ऐसे सभी आदेश और प्रावधान कर सकता है जो ऐसी डिक्री या अंतरिम आदेशों द्वारा उस स्थिति में किए गए होते जब ऐसी डिक्री प्राप्त करने की कार्यवाही अभी भी लंबित होती, और न्यायालय, समय-समय पर पहले दिए गए किसी भी ऐसे आदेश और प्रावधानों को रद्द, निलंबित या परिवर्तित भी कर सकता है:

बशर्ते कि ऐसी डिक्री प्राप्त करने की कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान अप्राप्तवय बच्चों के भरण-पोषण और शिक्षा के संबंध में आवेदन का निस्तारण, यथासंभव, प्रत्यर्थी को नोटिस तामील होने की तिथि से साठ दिनों के भीतर किया जाएगा।"

15. याचिकाकर्ता ने खुलासा किया है कि उसने बच्चों की अभिरक्षा/मुलाकात का दावा करते हुए घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के तहत एक आवेदन दायर किया है। उसने इसी उद्देश्य के लिए संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम की धारा 7/25 के तहत एक वाद दायर किया है। उसने समान उद्देश्य से किशोर न्याय अधिनियम के तहत भी कार्यवाही संस्थित की है। उसने प्राकृतिक पिता से बच्चों की अभिरक्षा का दावा करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की मांग करते हुए एक रिट याचिका भी दायर की थी। उपरोक्त सभी अनेक कार्यवाहियों के अतिरिक्त, उसने बच्चों की अभिरक्षा/मुलाकात का दावा करने के लिए किशोर न्याय अधिनियम के तहत बाल कल्याण समिति से भी संपर्क किया है।

16. ऐसे माता-पिता, जिनके वैवाहिक संबंध खराब हो चुके हैं और जो परिवार न्यायालय के समक्ष वैवाहिक मुकदमा को पैरवी कर रहे हैं, उनके बच्चों की अभिरक्षा/मुलाकात के संबंध में आदेश पारित करना किशोर न्याय अधिनियम के दायरे में नहीं आता है और ऐसा प्रतीत होता है कि किशोर न्याय अधिनियम के तहत गठित बाल कल्याण समिति के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा अपने बच्चों की अभिरक्षा/मुलाकात के संबंध में दायर किया गया आवेदन कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग था और यह उसके पति - विपक्षी संख्या 7 के खिलाफ संस्थित कार्यवाहियों को एक और मंच जोड़कर बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था, जबकि विपक्षी संख्या 7 पहले से ही याचिकाकर्ता द्वारा कई मंचों अर्थात् उच्च न्यायालय (बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका), अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय (घरेलू हिंसा अधिनियम), और परिवार न्यायालय (वैवाहिक वाद और संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम के तहत कार्यवाही) के समक्ष संस्थित कार्यवाहियों का सामना कर रहा है।

17. बाल कल्याण समिति को ऐसे पक्षकारों, जिनके बीच वैवाहिक विवाद चल रहा हो, के बच्चों की अभिरक्षा/मुलाकात के संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि अपने किसी एक नैसर्गिक संरक्षक के साथ रहने वाले ऐसे अलग हो चुके माता-पिता के बच्चों को

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



किशोर न्याय अधिनियम के तहत देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे नहीं कहा जा सकता है।

18. अजय सिंह बनाम छत्तीसगढ़ राज्य: (2017) 3 एससीसी 330 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत शक्तियों के दायरे को निम्नलिखित तरीके से समझाया है: -

"23. संविधान का अनुच्छेद 227 इस प्रकार है:

"227. उच्च न्यायालय की सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति.-

(1) प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन राज्यक्षेत्रों के सर्वत्र, जिनके संबंध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर अधीक्षण की शक्ति होगी।

(2) पूर्वगामी प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उच्च न्यायालय—

(क) ऐसे न्यायालयों से विवरणियाँ मंगा सकेगा;

(ख) ऐसे न्यायालयों की पद्धति और कार्यवाहियों को विनियमित करने के लिए सामान्य नियम बना और जारी कर सकेगा तथा प्रपत्र विहित कर सकेगा; और

(ग) वे प्रपत्र विहित कर सकेगा जिनमें ऐसे किसी न्यायालय के अधिकारियों द्वारा पुस्तकें, प्रविष्टियाँ और लेखे रखे जाएंगे।

(3) उच्च न्यायालय, शेरिफ और ऐसे न्यायालयों के सभी लिपिकों तथा अधिकारियों को, और उनमें विधि-व्यवसाय करने वाले अटॉर्नियों, अधिवक्ताओं और प्लीडरों को अनुज्ञेय फीसों की सारणियाँ भी नियत कर सकेगा।

परंतु खंड (2) या खंड (3) के अधीन बनाए गए कोई नियम, विहित किए गए प्रपत्र या नियत की गई सारणियाँ तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के प्रावधानों से असंगत नहीं होंगी, और उनके लिए राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

(4) इस अनुच्छेद की कोई बात उच्च न्यायालय को सशस्त्र बलों से संबंधित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित किसी न्यायालय या अधिकरण पर अधीक्षण की शक्तियाँ प्रदान करने वाली नहीं समझी जाएगी।"

उपरोक्त अनुच्छेद राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर स्थित न्यायालयों और अधिकरणों पर उच्च न्यायालय को अधीक्षण की शक्ति प्रदान करता है। उच्च न्यायालय के पास स्वतः संज्ञान शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार क्षेत्र और प्राधिकार है।

24. अच्युतानंद बैद्य बनाम प्रफुल्ल कुमार गायन [(1997) 5 एससीसी 76] मामले में, अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति पर विचार करते हुए दो न्यायाधीशों की पीठ ने यह मत व्यक्त किया है कि संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



केवल प्रशासनिक अधीक्षण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस शक्ति के व्यापक दायरे में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति भी शामिल है। अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति और कर्तव्य अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करना है कि उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों और अधिकरणों ने वह कार्य किया है जो उन्हें करना अपेक्षित था। इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा यह विधि भली-भांति स्थापित है कि उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अधिकार क्षेत्र के त्रुटिपूर्ण ग्रहण या उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने, अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार करने, अभिलेख पर स्पष्ट विधि की त्रुटि जो महज विधि की भूल से भिन्न हो, प्राधिकार या विवेक के मनमाने या मनमौजी प्रयोग, प्रक्रिया में प्रकट त्रुटि, किसी ऐसे निष्कर्ष पर पहुँचने जो विकृत हो या किसी सामग्री पर आधारित न हो, या जिसके परिणामस्वरूप स्पष्ट अन्याय हो रहा हो, के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है।”

19. मेरा यह सुविचारित मत है कि बाल कल्याण समिति, अयोध्या द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.08.2022 अधिकार क्षेत्र के बिना पारित किया गया है और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 द्वारा इस न्यायालय को प्रदत्त अधीक्षण शक्ति का प्रयोग करते हुए स्वतः सज़ान लेकर अपास्त किए जाने योग्य है।

20. तदनुसार, याचिकाकर्ता को मुलाकात का अधिकार प्रदान करने वाला बाल कल्याण समिति, अयोध्या द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.08.2022 इसके द्वारा अपास्त किया जाता है। इस आदेश के परिणामस्वरूप, याचिका के अनुतोष 1, 2 और 3 निरर्थक हो जाते हैं। अभिरक्षा/मुलाकात का दावा करने वाले याचिकाकर्ता द्वारा संस्थित उचित कार्यवाही, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, अयोध्या के समक्ष दायर संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 7/25 के तहत दिया गया आवेदन है, जो वाद संख्या 13 सन् 2025 के रूप में दर्ज है। हालाँकि, ऐसा कोई अभिवचन नहीं है कि उपरोक्त मामले के नोटिस प्रतिवादी - विपक्षी संख्या 7 पर तामील हो चुके हैं या नहीं और क्या यह सुनवाई के लिए परिपक्व है।

21. बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, अयोध्या को यह निर्देश जारी किया जाता है कि वे पक्षकारों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के पश्चात, किसी भी पक्षकार को कोई अनावश्यक स्थगन दिए बिना और कम अंतराल पर तारीखें तय करके, विधि के अनुसार शीघ्रता से संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 7/27 के तहत वाद संख्या 13 सन् 2025 का निर्णय करें।

22. यह परिवार न्यायालय के विवेक पर छोड़ा जा रहा है कि यदि परिवार न्यायालय में पक्षकारों के बीच कई कार्यवाहियाँ लंबित हैं, तो परिवार न्यायालय मामलों को संबद्ध करने और उन्हें एक साथ तय करने की प्रभावकारिता पर विचार कर सकता है।

23. उपरोक्त टिप्पणियों/निर्देशों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी,)

12 मार्च, 2026

राम.

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"